बिहार सरकार
बिहार तकनीकी सेवा आयोग,
19, हार्डिंग रोड, पटना।

काउंसलिंग टीम हेतु दिशा निर्देशः–

सामान्य चिकित्सा पदाधिकारी/विशेषज्ञ चिकित्सा पदाधिकारी के काउंसलिंग हेतु गठित काउंसलिंग टीम को काउंसलिंग के क्रम निम्नलिखित दिशा निर्देश का अनुपालन किया जाना हैः–

1. सभी टीम को आवंटित अभ्यर्थियों का उपस्थिति पंजी में पूर्ण हस्ताक्षर सहित उपस्थिति दर्ज कराना।
2. चेक–लिस्ट में वर्णित सभी बिन्दुओं के अनुसार प्रमाण–पत्रों का मिलान कर सत्यापित करना एवं पेजिंग करना अनिवार्य होगा।
3. अभ्यर्थियों द्वारा प्रस्तुत किये गये सत्यापित प्रमाण–पत्र से संबंधित सभी प्रतियों को फोल्डर संचिका में संधारित किया जाना।
4. अंक सत्यापन प्रपत्र में अभ्यथियों द्वारा अंकित किये गए अंको को अपने स्तर से जोड़ कर सत्यापित करना एवं निर्धारित स्थान पर हस्ताक्षर किया जाना।
5. प्राप्ति रसीद में जमा किये गये प्रमाण–पत्रों का मिलान कर हस्ताक्षरित प्राप्ति रसीद अभ्यर्थी को दिया जाना।
6. चेक–लिस्ट में निर्धारित स्थान पर हस्ताक्षर किया जाना।

उपरोक्त के अतिरिक्त काउंसलिंग टीम में निम्नांकित बिन्दूओं पर विशेष रूप से ध्यान देगी :–

A. सभी प्रमाण–पत्र अभ्यर्थी द्वारा मूल में उपस्थापित किये जायें, किसी प्रमाण–पत्र उपस्थापित नहीं किये जाने अथवा त्रुटि पाये जाने पर अभ्यर्थी को निदेशित किया जाय तथा उसकी विवरणी संचिका में विशेष टिप्पणी में दर्ज कर इसे कम्प्यूटर में भी इन्ट्री कराना सुनिश्चित किया जाय।

B. काउंसलिंग दल सत्यापन के क्रम में यह सुनिश्चित करेंगे कि काउंसलिंग हेतु उपस्थापित प्रमाण–पत्र आवेदन समर्पित करने की अंतिम तिथि यथा 05.06.2021 के पूर्व का है। कोरोना, लॉकडाउन के कारण आयोग के विज्ञापन द्वारा निम्न प्रमाण–पत्रों को छोड़कर शेष प्रमाण–पत्रों पर उपरोक्त शर्त में छूट दिया जा सकता है, अर्थात वे प्रमाण–पत्र 05.06.2021 के बाद किन्तु काउंसलिंग की तिथि के पूर्व के भी अनुमान्य होंगे।

1. Age Proof (Certificate of Matriculation)/CBSC/ICS/OTHER BOARD.
2. Qualification Proof--Bachelor Degree,Master Degree
3. Internship certificate issued by the principal/Dean of Medical College--
4. Work Exp. Certificate issued by Controlling officer

C. काउंसलिंग दल सत्यापन के क्रम में यह सुनिश्चित करेंगे कि अभ्यर्थी द्वारा जो आरक्षण संबंधी प्रमाण–पत्र यथा (नन् क्रीमीलेयर प्रमाण–पत्र) काउंसलिंग में समर्पित किया जाता है वह उनके द्वारा ऑनलाईन भरे आवेदन में अंकित आरक्षण कोटि से मेल खाता है। इसमें किसी भी प्रकार की त्रुटि को अपने प्रतिवेदन में विशेष रूप से लेखांकित करेंगे।

D. काउंसलिंग दल से यह अपेक्षा की जाती है कि वे यह सुनिश्चित कर लेंगे कि आरक्षण कोटि का लाभ संबंधी प्रविष्टि उन्हीं अभ्यर्थी को दी जा रही है जिनके द्वारा बिहार राज्य के मूल निवासी होने का प्रमाण–पत्र समर्पित किया गया है।

E. अनुभव प्रमाण–पत्र के आधार पर अंकों की गणना करने में विशेष रूप से ध्यान रखेंगे कि वह पूर्णतः त्रुटि रहित हो। कुल कार्यावधि को 365 से भाग देने के पश्चात् भागफल को 5 से गुणा करने पर जो अंक आता है, अनुभव के लिए देय होगा।

F. अनुभव प्रमाण–पत्र बिहार राज्य के अन्तर्गत गैर निजी अस्पताल का ही होना चाहिए।

G. विदेशी विश्वविद्यालय जिनकी मान्यता MCI से प्राप्त हो, से उत्तीर्ण छात्रों के अंकों की गणना इनके प्राप्तांक को 50% मानकर उसमें 0.6 से गुणा करने के पश्चात् जो अंक प्राप्त होता है, वही देय होगा।

H. इंटर्नशिप का 12 महीने के प्रमाण–पत्र में यह देखना है कि वह बिना किसी टूट के हो। ऐसा न होने की स्थिति में इसे वे अपने प्रतिवेदन में अंकित करेंगे।

I. जन्म तिथि/अनुभव (यदि अनुमान्य हो) के आधार पर कट ऑफ तिथि यथा 01.08.2020 को न्यूनतम/अधिकतम आयुसीमा की जाँच कर चेक स्लिप में अंकित करें।

J. महिला अभ्यर्थी के मामले में जाति/निवास और नन्क्रीमीलेयर का प्रमाण–पत्र को बिन्दुवार देख लिया जाय कि वह पिता के नाम से निर्गत है।

k. आरक्षण/उच्चतर योग्यता/कार्यानुभव का दावा तभी मान्य होगा, जब अभ्यर्थी द्वारा ऑनलाईन आवेदन में उसका दावा किया गया हो।

L. कार्यानुभव केवल संविदा के आधार पर नियुक्ति अभ्यर्थी को देय है। नियमित नियुक्ति वाले अभ्यर्थियों को कार्यानुभव देय नहीं है। (यदि नियमित नियुक्ति उसी पद पर हो जिसके लिए आवेदन पुनः किया है), उच्चतर पद पर आवेदन करने पर कार्य अनुभव देय है।

25.6.2021

प्रभारी सचिव

बिहार तकनीकी सेवा आयोग, पटना।

बिहार सरकार
बिहार तकनीकी सेवा आयोग, पटना।

सामान्य चिकित्सा पदाधिकारी/विशेषज्ञ चिकित्सा पदाधिकारी के काउंसलिंग में आने वाले अभ्यर्थियों के लिए दिशा निर्देश :–

1. सभी प्रमाण–पत्र, अंक पत्र मूल में काउंसलिंग के समय सत्यापन हेतु प्रस्तुत करना अनिवार्य होगा (देखे संलग्न चेक स्लिप)।
2. सभी प्रमाण–पत्र आवेदन के अंतिम तिथि दिनांक–05.06.2021 से पूर्व का निर्गत होना अनिवार्य है। आवेदन के अंतिम तिथि के पश्चात् निर्गत कोई भी प्रमाण–पत्र मान्य नहीं होगा। कोरोना, लॉकडाउन के कारण आयोग के विज्ञापन द्वारा निम्न प्रमाण–पत्रों को छोड़कर शेष प्रमाण–पत्रों पर उपरोक्त शर्त में छूट दिया जा सकता है, अर्थात वे प्रमाण–पत्र 05.06.2021 के बाद किन्तु काउंसलिंग की तिथि के पूर्व के भी अनुमान्य होंगे।
   i. Age Proof (Certificate of Matriculation)/CBSC/ICS/OTHER BOARD.
   ii. Qualification Proof--Bachelor Degree,Master Degree
   iii. Internship certificate issued by the principal/Dean of Medical College--
   iv. Work Exp. Certificate issued by Controlling officer
3. ऑन–लाईन आवेदन तथा ऑनलाईन आवेदन में वर्णित सभी प्रमाण–पत्र/अंक पत्र की Downloaded Hard Copy स्व–अभिप्रमाणित कर काउंसलिंग के समय जमा करना अनिवार्य होगा।
4. Online आवेदन में upload किये गए Photograph की 5 (पॉच) प्रति संलग्न करना अनिवार्य है।
5. निर्देश का अनुपालन नहीं करने वाले अभ्यर्थियों की अर्हता के सम्बन्ध में निर्णय लेने हेतु आयोग स्वतंत्र होगा।
6. किसी प्रकार की त्रुटि पाये जाने पर संबंधित आवेदक की अभ्यर्थिता रद्द की जा सकती है।
7. संलग्न चेकस्लीप के अनुरूप सभी तैयारी कर काउंसलिंग में भाग लेंगे।
8. अंक सत्यापन प्रमाण–पत्र के निर्धारित कॉलम में अभ्यर्थी द्वारा उनके अनुसार प्राप्त होने वाले अंकों को जोड़ कर लिखना होगा तथा सभी कॉलम भरकर हस्ताक्षर करना होगा।
9. कार्यानुभव प्रमाण–पत्र बिहार राज्य के अन्तर्गत किसी भी गैर निजी अस्पतालों के नियंत्री पदाधिकारी द्वारा निर्गत का होना चाहिए तथा अनुभव प्रमाण–पत्र निर्गत करने की तिथि आवेदन समर्पित करने के अंतिम तिथि से पूर्व का होना चाहिए।

बिहार सरकार
बिहार तकनीकी सेवा आयोग, पटना।

सामान्य चिकित्सा पदाधिकारी का अंक सत्यापन प्रपत्र

1	विज्ञापन संख्या :– 17/2021						
2	पद का नामः– सामान्य चिकित्सा पदाधिकारी						
3	पंजीकरण संख्या (Registration No.) :– BR00150........................						
4	अभ्यर्थी का नामः–						
5	शैक्षणिक योग्यताः–			आवेदन के अनुसार		सत्यापन के अनुसार	
a	MBBS का अंकः– **भारतीय विश्वविद्यालय के लिए।**			प्राप्तांक %	प्राप्तांक % x 0.6	प्राप्तांक %	प्राप्तांक % x 0.6
		प्राप्तांक	पूर्णांक				
	1^{st}						
	2^{nd}						
	3^{rd}						
	4^{th}						
	कुल						
b	उच्चत्तर योग्यता का अंकः–			N/A		N/A	
c	कार्य अनुभव का अंकः–			**कार्यावधि ———(कार्य दिवस)**		**कार्यावधि ——— (कार्य दिवस)**	
d	कुल अंकः–			N/A		N/A	

नोट :– विदेशी विश्वविद्यालय हेतु प्राप्तांक %, 50 होगा एवं प्राप्तांक % x 0.6 = 30 होगा।

दिनांकः– ....

स्थान– बिहार तकनीकी सेवा आयोग,
19, हार्डिंग रोड, पटना।

अभ्यर्थी का हस्ताक्षर

प्रमाणित किया जाता है कि कंडिका –5 (a), (b), (c) एवं (d) में अंकित प्राप्तांक/अंक का सत्यापन मूल प्रमाण–पत्र अथवा सक्षम पदाधिकारी के द्वारा अभिप्रमाणित प्रमाण–पत्र से कर लिया गया है एवं की गई गणना सही है।

सहायक/डाटा इण्ट्री ऑपरेटर | प्रशाखा पदाधिकारी | प्रभारी पदाधिकारी

बिहार सरकार

बिहार तकनीकी सेवा आयोग,

19, हार्डिंग रोड, पटना।

काउंसलिंग हेतु प्राप्ति रसीद।

1	विज्ञापन संख्या :– ..../2021	
2	पद का नामः– सामान्य चिकित्सा पदाधिकारी/विशेषज्ञ चिकित्सा पदाधिकारी	
3	पंजीकरण संख्या (Registration No.) :– BR00150.....................	
4	अभ्यर्थी का नामः–	
5	दिनांकः–	

चेक लिस्ट के निम्नलिखित कंडिकाओं से संबंधित प्रमाण–पत्र की स्व–अभिप्रमाणित छाया प्रति जमा किया गया है। (चिन्हित करें ✓✗)

7. A :- (i), (ii), (iii), (iv), (v), (vi), (vii), (viii), (ix), (x),

7. B :- (i), (ii), (iii), (iv), (v), (vi), (vii), (viii)

उपरोक्त में निम्नांकित प्रमाण–पत्रः–

1.

2.

3.

मूल में उपस्थापित नहीं किया गया है/त्रुटिपूर्ण पाया गया है। (जो लागू नहीं हो काट देंगे)

(त्रुटि का कारण .... संक्षेप में)

प्राप्तकर्ता का हस्ताक्षर
टेबुल संख्या ....

बिहार सरकार
बिहार तकनीकी सेवा आयोग,
19, हार्डिंग रोड, पटना।

सामान्य चिकित्सा पदाधिकारी के कॉन्सलिंग के लिए चेक लिस्ट

विज्ञापन सं०–17/2021 दिनांक ----------------

1.	नाम :-		
2.	पिता का नाम:-		
3.	पता :-		
4.	ऑन–लाईन आवेदन का पंजीकरण संख्याः–		
5.	जन्म तिथिः-		दिनांक–01.08.2020 को आयु (साल, महिना, दिन) :–
6.	श्रेणी :-	A. सामान्य/इ०डब्लू०एस०/बी०सी०/ई०बी०सी०/एस०सी०/एस०टी०। B. दिव्यांग/स्वतंत्रता सेनानी के पोता/पोती/नाती/नतीनी C. बिहार राज्य के चिकित्सा महाविद्यालय से एम०बी०बी०एस० परीक्षा उत्तीर्ण :– ☐ हॉ ☐ नहीं D. बिहार राज्य के मूल निवासी :– ☐ हॉ ☐ नहीं	

7. समर्पित किये गये प्रमाण–पत्रों की स्व–अभिप्रमाणित (मूल से मिलान कर) छायाप्रति :-

(A) राज्य सरकार के सामान्य शर्तों के अनुपालन हेतु :–

(i) जन्म तिथि हेतु मैट्रिकुलेशन का प्रमाण–पत्र। 1

(ii) निवास प्रमाण–पत्र। 2

(iii) फोटोयुक्त पहचान पत्र (Aadhaar Card/Pan Card/Driving Licence/Passport /Voter ID). 3

*(iv) अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति के उम्मीदवारों के लिए जाति प्रमाण–पत्र **(महिला उम्मीदवारों के लिए पिता के नाम एवं पता से निर्गत जाति प्रमाण–पत्र एवं निवास प्रमाण पत्र लाना अनिवार्य है)।** 4

*(v) पिछड़ा वर्ग/अत्यंत पिछड़ा वर्ग के उम्मीदवारों के लिए क्रीमीलेयर रहित प्रमाण–पत्र **(महिला उम्मीदवारों के लिए पिता के नाम एवं पता से निर्गत क्रीमीलेयर रहित प्रमाण–पत्र लाना अनिवार्य है)।** 5

*(vi) पिछड़ा वर्ग/अत्यंत पिछड़ा वर्ग के उम्मीदवारों के लिए क्रीमीलेयर के अन्तर्गत नहीं होने संबंधी घोषण पत्र **(विगत 1 वर्ष से पूर्व का क्रीमीलेयर रहित प्रमाण–पत्र होने पर)।** 6

*(vii) आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के उम्मीदवारों के लिए आय एवं परिसम्पत्ति प्रमाण–पत्र। 7

*(viii) दिव्यांगता संबंधी प्रमाण–पत्र। 8

*(ix) स्वतंत्रता सेनानी के पोता/पोती/नाती/नतिनी के आरक्षण का दावा करने वाले अभ्यर्थियों के लिए जिला पदाधिकारी या उनके द्वारा मनोनीत पदाधिकारियों द्वारा विहित प्रपत्र में निर्गत प्रमाण–पत्र। 9

(x) ऑनलाईन आवेदन में अपलोड किये गए फोटोग्राफ की 5 प्रति। 10

(B) संवर्गीय नियमावली के दिशा–निर्देश के अनुपालन हेतु :–

*(i) चरित्र एवं आचरण प्रमाण–पत्र। (**जिस महाविद्यालय से MBBS अथवा स्नातकोत्तर उत्तीर्ण हुए हों वहाँ के प्रधान के द्वारा दिये गए चरित्र एवं आचरण प्रमाण–पत्र मान्य होंगे।**) 1

(ii) एम०बी०बी०एस० उत्तीर्णता प्रमाण–पत्र अथवा प्रोविजनल प्रमाण–पत्र। 2

(iii) एम०बी०बी०एस० के सभी वर्षों का अंक–पत्र। 3

(iv) 12 माह का अनिवार्य इर्ण्टनशीप प्रशिक्षण पूर्णता प्रमाण–पत्र। 4

(v) एम०सी०आई० अथवा राज्य चिकित्सा परिषद् से स्थाई निबंधन प्रमाण–पत्र (**उच्चत्तर डिग्री का लाभ तभी देय होगा, जब MCI निबंधन में तत्संबंधी उल्लेख हो**)। 5

*(vi) स्नातकोत्तर अथवा उच्चत्तर डिग्री का प्रमाण–पत्र MD/MS/DNB/DM/MCh. 6

*(vii) कार्य अनुभव प्रमाण–पत्र एवं (**बिहार स्थित गैर निजी संस्थान में संविदा धारक चिकित्सों को कार्य अनुभव संबंधी प्रमाण–पत्र केलिए सक्षम प्राधिकार, संबंधित संस्थान के नियंत्री पदाधिकारी होंगे)।** 7

*(viii) ऑनलाईन आवेदन की छायाप्रति । 8

*** आवेदक द्वारा दावा करने की स्थिति में सत्यापन किया जाना है।**

मेरे द्वारा उपरोक्त कंडिका 7 के उप कंडिका–A.. तथा B.................. ...., को छोड़कर शेष उप कंडिकाओं में अंकित दस्तावेजों की स्व–अभिप्रमाणित छायाप्रतियाँ समर्पित की गयी। प्रमाणित किया जाता है कि मेरे द्वारा समर्पित सभी दस्तावेज सही है।

अभ्यर्थी का हस्ताक्षर (तिथि सहित)

अभ्यर्थी के द्वारा समर्पित दस्तावेजों की स्व–अभिप्रमाणित छायाप्रतियाँ का मिलान मूल दस्तावेज से किया गया एवं इसे मूल दस्तावेजों के अनुरूप पाया गया। प्राप्त किए गए दस्तावेजों की छायाप्रतियाँ को फोल्डर में पृष्ठ .... से .... पर संलग्न किया गया। संलग्न दस्तावेजों के आधार पर प्रमाणित किया जाता है कि उम्मीदवार की :–

☐ आयु सीमा सही है :– (आयु ....)

☐ अभ्यर्थी का कोटि का दावा मान्य है :– (कोटि ....)

☐ अभ्यर्थी का अनुभव का दावा मान्य है :– (अनुभव अवधि ....)

कोई विशेष टिप्पणी यदि हो, तो अंकित करें।

सहायक का हस्ताक्षर (तिथि सहित)	प्रशाखा पदा० का हस्ताक्षर (तिथि सहित)	प्रभारी पदा० का हस्ताक्षर (तिथि सहित)

बिहार सरकार
बिहार तकनीकी सेवा आयोग,
19, हार्डिंग रोड, पटना।

सूचना

विज्ञापन सं० 04/2021—17/2021,

विज्ञापन संख्या–04/2021–17/2021, अन्तर्गत सामान्य चिकित्सा पदाधिकारी एवं विशेषज्ञ चिकित्सा पदाधिकारी के पद पर नियुक्ति हेतु प्राप्त ऑन–लाईन आवेदन के आधार पर दिनांक–01.07.2021 को द्वितीय पाली 2.30 से 5.30 बजे तक एवं दिनांक–02.07.2021 से दो पालियों में (प्रथम पाली 10.30 से 1.30 बजे तक) तथा (द्वितीय पाली 2.30 से 5.30 बजे तक) (Counselling) का कार्य ज्ञान भवन, गांधी मैदान, पटना में आयोजित किया जायेगा, जिसका रजि० नं० के अनुसार तिथिवार एवं टेबुलवार विवरणी सूचना के साथ संलग्न है।

अतः अभ्यर्थियों को सूचित किया जाता है कि वे अपने रजिस्ट्रेशन नम्बर के अनुसार निर्धारित तिथि एवं समय पर विज्ञापन में वर्णित एवं आवेदन के साथ संलग्न सभी प्रमाण–पत्रों की स्व–अभिप्रमाणित छायाप्रति, एम०बी०बी०एस० के सभी वर्षों के अंक प्रमाण–पत्रों की स्व–अभिप्रमाणित प्रति, आवेदन की डाउनलोडेड प्रति तथा सत्यापन हेतु इन सभी प्रमाण पत्रों की मूल प्रति के साथ उपस्थित रहे।

(1) पिछड़ा/अत्यंत पिछड़ा वर्ग के अभ्यर्थी क्रीमीलेयर रहित प्रमाण–पत्र (महिला उम्मीदवारों के लिए पिता के नाम एवं पता से निर्गत क्रीमीलेयर रहित प्रमाण–पत्र) लाना अनिवार्य है।

(2) पिछड़ा/अत्यंत पिछड़ा वर्ग के अभ्यर्थी के लिए क्रीमीलेयर से संबंधित घोषणा–पत्र (विगत एक वर्ष से पूर्व का क्रीमीलेयर रहित प्रमाण–पत्र होने पर)।

(3) अनुसूचित जाति/अुनसूचित जनजाति के अभ्यर्थियों के लिए जाति प्रमाण–पत्र एवं स्थाई निवास प्रमाण–पत्र (महिला उम्मीदवारों के लिए पिता के नाम एवं पता से निर्गत जाति प्रमाण–पत्र एवं निवास प्रमाण–पत्र) लाना अनिवार्य है।

(4) EWS के अभ्यर्थी आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के लिए निर्गत प्रमाण–पत्र अनिवार्य है, अन्यथा आरक्षण का लाभ देय नहीं होगा।

(5) सक्षम प्राधिकार के द्वारा निर्गत दिव्यांग प्रमाण–पत्र प्रस्तुत नहीं करने पर दिव्यांग श्रेणी में आरक्षण का लाभ नहीं मिलेगा।

(6) स्वतंत्रता सेनानी के पोता/पोती/नाती/नतिनी के द्वारा जिला पदाधिकारी के स्तर से निर्गत प्रमाण–पत्र/पहचान–पत्र प्रस्तुत नहीं करने पर आरक्षण का लाभ नहीं मिलेगा।

(7) पहचान–पत्र (फोटो युक्त)।

(8) 5 पासपोर्ट साइज के अद्यतन फोटोग्राफ।

(9) यदि आपने आरक्षित पद के लिए दावा किया है, तब काउंसलिंग के समय अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति के मामले में अपने स्थाई अधिवास अंचल के अचंल अधिकारी

द्वारा हस्ताक्षरित जाति प्रामण–पत्र एवं स्थाई निवास प्रमाण–पत्र जमा कर सत्यापन कराना अनिवार्य होगा, अन्यथा आपको आरक्षण का लाभ नहीं मिलेगा।

(10) पिछड़ा वर्ग/अत्यंत पिछड़ा वर्ग के स्थिति में सामान्य प्रशासन विभाग, बिहार पटना के पत्रांक–673, दिनांक–08.03.2011 एवं पत्रांक–704, दिनांक–10.03.2011 के आलोक में बिहार सरकार द्वारा विनिर्दिष्ट विहित प्रपत्र में अपने स्थाई अधिवास अचंल के अंचल अधिकारी द्वारा हस्ताक्षरित, क्रीमीलेयर रहित प्रमाण–पत्र की मूल प्रति से सत्यापन कराना अनिवार्य होगा, अन्यथा आपको आरक्षण का लाभ देय नहीं होगा।

काउंसलिंग के लिए बुलाए जा रहे आवेदकों की अभ्यर्थिता पूर्णतः औपबंधिक है। काउंसलिंग में शामिल होने मात्र से उनकी अर्हता सम्पुष्ट नहीं होती है। काउंसलिंग के समय या उसके बाद उनकी अर्हता पर यथासम्भव आवश्यक निर्णय लेने का अधिकार आयोग के पास सुरक्षित रहेगा। काउंसलिंग के लिए संलग्न रजिस्ट्रेशन नम्बर वाले अभ्यर्थी को छोड़कर शेष किसी का भी काउंसलिंग स्थल में प्रवेश वर्जित होगा।

(11) अभ्यर्थी को यह सलाह दी जाती है कि आयोग द्वारा जब भी इस संबंध में समय–समय पर कोई सूचना आयोग के अधिकृत वेबसाईट पर प्रकाशित की जाती है तो इसे वे अपने ध्यान में अनुपालन हेतु रखेंगे। इसके लिए अलग से उन्हें कोई व्यक्तिगत सूचना देने/नहीं देने के बिन्दू पर आयोग निर्णय लेने हेतु स्वतंत्र होगा।

आवश्यक निदेश

(1) सभी अभ्यर्थी निर्धारित तिथि एवं समय पर अनिवार्य रूप से उपस्थित होंगे। द्वितीय पाली के अभ्यर्थी कोरोना महामारी के कारण 2.00 बजे अप० के पहले काउंसलिंग स्थल के अन्दर एवं उसके बाहरी चारदीवारी के किसी भी तरफ इक्टा नहीं होगें। द्वितीय पाली के अभ्यर्थी को काउंसलिंग स्थल पर 2.00 बजे अप० से ही अन्दर आने की अनुमति होगी।

(2) सभी अभ्यर्थी फेस मास्क निश्चित रूप से लगाकर ही काउंसलिंग में भाग लेंगें एवं आपस में 6 फीट की दूरी बनाए रखेगें।

(3) काउंसलिंग टेबूल पर जाने के पूर्व सभी अभ्यर्थी स्वयं को पूर्ण रूप से सैनिटाइजड कर लेंगें। सभी अभ्यर्थी सैनिटाइजर की व्यवस्था स्वय करें।

(4) काउंसलिंग के पश्चात् बगैर कहीं रूके हुए काउंसलिंग स्थल से बाहर चले जायेगें।

(5) काउंसलिंग स्थल पर कोरोना से संबंधित स्क्रिनिंग करने के पश्चात् ही काउंसलिंग में प्रवेश करने की अनुमति दी जायेगी। स्क्रिनिंग में असफल अभ्यर्थियों को काउंसलिंग में भाग लेने की अनुमति नहीं दी जायेगी।

(6) कोरोना से संक्रमित अथवा संदेहास्पद किसी भी अभ्यर्थी को काउंसलिंग में भाग लेने की अनुमति नहीं दी जायेगी।

(7) काउंसलिंग टेबल पर 6 फीट की दूरी से ही काउंसलिंग टीम मे सम्मिलित पदाधिकारी/कर्मी से वार्ता करेगें एवं अपना कागजात का सत्यापन करायेंगे।

(8) कोरोना संक्रमण से बचाव हेतु दिए गए सुरक्षात्मक सुझावों का उल्लंघन किये जाने पर नियमानुसार कानूनी कार्रवाई भी किया जा सकता है।